भा.कृ.अनु.प.- कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय
ICAR - Directorate of Knowledge Management in Agriculture
कृषि अनुसन्धान भवन - I, पूसा, नई दिल्ली - 110 012
Krishi Anusandhan Bhavan-I, Pusa, New Delhi – 110 012

F.No. D-13011/2/2026-GA-DKMA-ICAR Hqrs. **Date:22/05/2026**
E-Office no. 435046

CIRCULAR

Sub: Economy and Austerity Measures for Resource Conservation at ICAR-DKMA – reg.

The Council vide Office Memorandum No. D-13011/1/2026-Personnel IV -ICAR Hqrs. dated 15.05.2026 (copy attached), has issued an advisory for adopting due economy and taking austerity measures for promoting resource conservation, in the light of the appeals made by Hon'ble Prime Minister of India, regarding the need for collective national efforts during the ongoing global geo-political situation. All officials/officers of ICAR-DKMA (including contractual staff) are requested to follow the advisory issued by the Council, as applicable, without any deviation. In addition to the Council's advisory, this office/officials/officers may take following measures with immediate effect to promote resource conservation and support national efforts.

1. Travel & other Expenditure:

- All official meetings, conferences, etc. should be convened through virtual and digital platforms and only essential official tours, which cannot be avoided, may be undertaken.
- To avoid unnecessary expenditure, especially involving use of foreign currency.
- Preference should be given to generic products, technologies, and services.
- All the officials, who have to visit the constituent units of ICAR, located with in the Pusa campus for official work, if required, are advised to use public transport or car pooling.

2. Media & Knowledge Dissemination:

DKMA should prioritize content publications on:

- Organic and natural farming to reduce dependence on chemical fertilizers.
- Integrated nutrient management.
- Efficient use of agricultural inputs and precision farming.
- The Social media team shall use ICAR website, social media, and e-platforms to spread awareness about ICAR's publications/technologies relevant for sustainable agricultural production for stakeholder and ICAR efforts in National resource conservation in the light of the appeals of Hon'ble Prime Minister of India.

3. Electricity conservation:

All officials/contractual staff shall ensure to conserve electricity by switching off lights, fans and Air conditioners in office premises, if not required. The Air Conditioners should be operated not below 22 to 25 Degree Celsius, keeping in view of the required working conditions.

All Section In-charges, Unit Heads may ensure wide circulation of this circular for compliance in the national interest.

This issues with the approval of PD, DKMA.

(Rashmi)
Under Secretary, ICAR-DKMA

Distributions:

1. All officers, and staff of ICAR-DKMA.
2. Office of PD (DKMA).
3. ICAR/DKMA website.
4. Guard File.

भा.कृ.अनु.प.- कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय
कृषि अनुसन्धान भवन - I, पूसा, नई दिल्ली - 110 012

फा.सं. D-13011/2/2026-GA-DKMA-ICAR Hqrs. **दिनांक:22/05/2026**
ई-ऑफिस सं. 435046

परिपत्र

विषय: भाकृअनुप-कृज्ञाप्रनि में संसाधन संरक्षण एवं मितव्ययिता उपाय संबंधी।

परिषद द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या D-13011/1/2026-Personnel IV-ICAR Hqrs., दिनांक 15.05.2026 (संलग्न प्रति) के माध्यम से संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु मितव्ययिता संबंधी उपाय अपनाने के लिए एक परामर्श जारी किया गया है। यह परामर्श माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों के दौरान सामूहिक राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता के संबंध में की गई अपीलों के आलोक में जारी किया गया है।

भाकृअनुप-कृज्ञाप्रनि के सभी अधिकारी/कर्मचारी (संविदा कर्मियों सहित) से अनुरोध है कि परिषद द्वारा जारी परामर्श का, जहाँ लागू हो, बिना किसी विचलन के पालन करें। परिषद के परामर्श के अतिरिक्त, यह कार्यालय संसाधन संरक्षण एवं राष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन हेतु तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित उपाय अपनाने का सुझाव देता है।

1. यात्रा एवं अन्य व्यय:

- सभी आधिकारिक बैठकों, सम्मेलनों आदि का आयोजन ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यमों से किया जाए तथा केवल अति आवश्यक सरकारी यात्राएँ ही की जाएँ, जिन्हें टाला न जा सके।
- अनावश्यक व्यय से विशेष रूप से विदेशी मुद्रा के उपयोग से संबंधित व्यय से बचा जाए।
- सामान्य (जेनेरिक) उत्पादों, तकनीकों एवं सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए।
- पूसा परिसर स्थित परिषद की इकाइयों में आधिकारिक कार्य हेतु जाने वाले सभी अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन अथवा कार पूलिंग का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

2. मीडिया एवं ज्ञान प्रसार:

निदेशालय द्वारा निम्न विषयों पर सामग्री प्रकाशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:

- रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने हेतु जैविक एवं प्राकृतिक खेती।
- समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन।
- कृषि आदानों का दक्ष उपयोग एवं सटीक कृषि।
- सोशल मीडिया टीम द्वारा भाकृअनुप की वेबसाइट, सोशल मीडिया एवं ई-प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए सतत कृषि उत्पादन से संबंधित परिषद के प्रकाशनों/तकनीकों तथा राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण हेतु परिषद द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में हितधारकों के मध्य जागरूकता का प्रसार किया जाएगा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री की अपीलों के अनुरूप अपेक्षित है।

3. विद्युत संरक्षण:

सभी अधिकारी/संविदा कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यकता न होने पर कार्यालय परिसर में लाइट, पंखे एवं एयर कंडीशनर (एसी) बंद रखकर बिजली की बचत की जाए। कार्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एसी का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस से कम न रखा जाए।

सभी अनुभाग प्रभारी एवं इकाई प्रमुख राष्ट्रीय हित में अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इस परिपत्र का व्यापक प्रसार करें।

यह परिपत्र परियोजना निदेशक, कृज्ञाप्रनि के अनुमोदन उपरांत जारी किया जाता है।

रश्मि

(रश्मि)
अवर सचिव, भाकृअनुप-कृज्ञाप्रनि

प्रतिलिपि:

1. भाकृअनुप-कृज्ञाप्रनि के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
2. कार्यालय, परियोजना निदेशक (कृज्ञाप्रनि)
3. भाकृअनुप/कृज्ञाप्रनि की वेबसाइट
4. गार्ड फाइल

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
Indian Council of Agricultural Research
305, कृषि भवन, डा. राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली, 110001
305, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110001
011-23046615, 23381378, Sushil.Singh3@icar.org.in

भाकृअनुप
ICAR

मि. सं. D-13011/1/2026-Personnel-IV-ICAR Hqrs. (E Comp. सं. 434435) दिनांक : 15.05.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु मितव्ययिता अपनाने एवं खर्चों में संयम बरतने संबंधी परामर्श।

वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रहित में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिए गए आह्वान के क्रम में, भा.कृ.अनु.प. के संस्थानों / ब्यूरो / राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों / परियोजना निदेशालयों / कृषि विज्ञान केन्द्रों के सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्तव्यपरायण एवं सतत् कार्यप्रणालियों को अपनाकर राष्ट्रीय सुदृढ़ता में योगदान देने हेतु परामर्श दिया जाता है।

तदनुसार, संगठन स्तर पर अनुपालन एवं व्यापक जागरूकता हेतु निम्नलिखित परामर्श जारी किए जाते हैं:

1. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन, संस्थान के परिवहन साधनों, वाहन सांझा करना तथा ईंधन बचत के अन्य उपायों का अधिकतम उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
2. केवल अत्यंत आवश्यक विदेशी यात्राएँ ही की जाएँ एवं यथासंभव, आधिकारिक यात्राओं के स्थान पर वर्चुअल बैठकों एवं डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाए।
3. परिषद के प्रत्येक कर्मचारी से, राष्ट्र का एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते भी, राष्ट्रीय हितों के समर्थन में अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षा की जाती है। अतः किसी भी गैर-आवश्यक निजी विदेश यात्रा को कम-से-कम एक वर्ष के लिए स्थगित किया जाना चाहिए।
4. वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विवेकाधीन व्ययों में संयम बरतने, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा व्यय को कम करने की सलाह दी जाती है।
5. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप घरेलू यात्राओं (यथासंभव भारतीय रेल एवं ई-वाहनों के माध्यम से), स्वदेशी उत्पादों एवं सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए।
6. आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने एवं स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने हेतु स्वदेशी उत्पादों, तकनीकों एवं सेवाओं के क्रय एवं उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
7. वैज्ञानिकों एवं प्रसार कार्मिकों से निम्नलिखित को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने का अनुरोध किया जाता है:

(क) जैविक एवं प्राकृतिक खेती पद्धतियाँ,

(ख) समेकित पोषक तत्व प्रबंधन,

(ग) आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी एवं

(घ) कृषि आदानों का दक्षतापूर्वक उपयोग।

8. सभी आईसीएआर संस्थानों द्वारा ऊर्जा संरक्षण, सतत् उपभोग एवं आत्मनिर्भरता विषयों पर जागरूकता फैलाने की अपेक्षा की जाती हैं।
9. निदेशकों, परियोजना समन्वयकों, विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय केन्द्र प्रमुखों, कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस परामर्श का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करें तथा कर्मचारियों को राष्ट्रहित में स्वैच्छिक सहभागिता हेतु प्रेरित करें।

यह न केवल अपेक्षित है, बल्कि ऐसा दृढ़ विश्वास भी व्यक्त किया जाता है कि परिषद के वैज्ञानिक समुदाय, तकनीकी कर्मियों तथा प्रशासनिक तंत्र का सामूहिक योगदान राष्ट्र के सतत विकास, आर्थिक सुदृढ़ता एवं 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह ज्ञापन माननीय सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

सुशील सिंह
15/05/2026
(सुशील कुमार सिंह)
निदेशक (कार्मिक)

वितरण / प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय / संस्थानों / ब्यूरो / राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों (NRCs) / परियोजना निदेशालयों (PDs) के सभी वैज्ञानिक / अधिकारी / कर्मचारी गण, जिनमें उनके क्षेत्रीय स्टेशन / केंद्र, आदि तथा कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) शामिल हैं (ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड के माध्यम से)।
2. समस्त उपमहानिदेशक / सहायक महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय (KB / KAB – I / II), नई दिल्ली ।
3. भा.कृ.अनु.प. के सभी संस्थानों / NRCs / राष्ट्रीय ब्यूरो / PDs के निदेशकों / परियोजना निदेशकों को, इसे समस्त कर्मचारियों के संज्ञान में लाने हेतु।
4. श्रीमान सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प., कृषि भवन, नई दिल्ली के प्रधान निजी सचिव।
5. श्रीमान अतिरिक्त सचिव, डेयर एवं सचिव, भा.कृ.अनु.प., कृषि भवन, नई दिल्ली के प्रधान निजी सचिव।
6. श्रीमान अतिरिक्त सचिव, डेयर एवं वित्तीय सलाहकार, भा.कृ.अनु.प., कृषि भवन, नई दिल्ली के प्रधान निजी सचिव।
7. संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं तकनीकी सेवा)/ संयुक्त सचिव (वित्त) / निदेशक (प्रशासन) / निदेशक (सामान्य प्रशासन एवं समन्वयन), भा.कृ.अनु.प., कृषि भवन, नई दिल्ली।
8. सूचना प्रणाली अधिकारी, कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय, KAB – I, पूसा, नई दिल्ली — भा.कृ.अनु.प. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. अभिलेख फाइल (गार्ड फाइल) ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
Indian Council of Agricultural Research
305, कृषि भवन, डा. राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली, 110001
305, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110001
011-23046615, 23381378, Sushil.Singh3@icar.org.in

F. No. D-13011/1/2026-Personnel-IV-ICAR Hqrs. (E Comp. No. 434435) Dated : 15.05.2026

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Advisory for adopting due economy and taking austerity measures for promoting resource conservation – reg.

In view of the recent appeal made by the Hon'ble Prime Minister of India regarding the need for collective national efforts during the ongoing global geo-political situation, all Scientists, Officers and Staff members of ICAR Institutes / Bureaux / NRCs / PDs / KVKs are advised to contribute towards strengthening national resilience through responsible and sustainable practices.

Accordingly, the following advisory is issued for sensitization and compliance at organisational level:

1. Officials are encouraged to make maximum use of public transport, institute transport facilities, carpooling and other fuel saving measures.
2. Only most essential foreign visits may be undertaken and official travel may be optimized through virtual meetings and digital platforms, wherever feasible.
3. Every employee of the Council, also being a responsible citizen of the nation, is expected to perform her/his duties of supporting national cause & therefore any non-essential personal visit abroad may also be deferred at least for one year.
4. Scientists, Officers and staff are advised to adopt restraint in discretionary expenditure, particularly involving foreign exchange outflow.
5. Preference may be given to domestic travel (through Indian Railways and e-Vehicles to the extent possible), products and services in alignment with national priorities.
6. Procurement and usage of indigenous products, technologies and services may be encouraged to promote self-reliance and strengthen local industries.
7. Scientists and extension personnel are requested to intensify efforts towards promoting:
   (a) Organic and natural farming practices,
   (b) Integrated nutrient management,
   (c) Reduction in dependence on imported chemical fertilizers and
   (d) Efficient utilization of agricultural inputs.
8. All ICAR institutes are expected to spread awareness on energy conservation, sustainable consumption & self-reliance.
9. Directors, Project Coordinators, Heads of Divisions, Head of Regional Stations & Head, KVKs are requested to ensure dissemination of this advisory among all employees and encourage voluntary participation in this national effort.

It is not only desired, but firmly believed that collective contribution of the scientific community, technical personnel and administrative machinery of ICAR will play a significant role in realizing the goals of sustainable development, economic resilience and 'Viksit Bharat 2047' for the nation.

This is issued with the approval of Secretary, DARE & DG, ICAR.

15/05/2026

(SUSHIL KUMAR SINGH)
DIRECTOR (PERSONNEL)

Distribution / Copy for kind information and / or further needful to:

1. All Scientists / Officers / Staff of ICAR Hqrs. / Institutes / Bureaux / NRCs / PDs including their Regional / Stations / Centers etc. and KVKs (through e-Office notice board).
2. All the DDGs / ADGs of ICAR Hqrs. (KB / KAB – I / II), New Delhi.
3. The Directors / Project Directors of all ICAR Institutes / NRCs / National Bureaux / Project Directorates for bringing it to the notice of all Scientists / Officers / Staff.
4. PPS to the Secretary, DARE & DG, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi.
5. PPS to the Additional Secretary, DARE & Secretary, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi.
6. PPS to the Additional Secretary, DARE & Financial Advisor, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. The Joint Secretary (Pers. & TS) / Joint Secretary (Finance) / Director (Administration) / Director (GAC), ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi 110001.
8. Information System Officer, DKMA, KAB – I, Pusa, New Delhi for uploading on ICAR website.
9. Guard File.